

I
बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना आदेश ज्ञापांक-2902 दिनांक-18.06.2018 द्वारा नवनियुक्त निम्नांकित तीन आपूर्ति निरीक्षकों, जिनका योगदान कॉलम 04 में अंकित तिथि से विभागीय आदेश ज्ञापांक-3722 दिनांक-03.08.2018 द्वारा स्वीकृत किया गया है, को कॉलम-05 में अंकित प्रखंड/स्थान/जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :

क्र०	आपूर्ति निरीक्षक का नाम/अनुक्रमांक	गृह जिला	सचिवालय मुख्यालय में योगदान स्वीकृति की तिथि	नव पदस्थापित स्थान/प्रखंड/जिला का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री रंजन कुमार, आपूर्ति निरीक्षक, 11230045	प० चम्पारण	दिनांक- 09.05.2018,	सरैया, मुजफ्फरपुर
2	श्री राजेश कुमार सिंह, आपूर्ति निरीक्षक, 10830558	पूर्वी चम्पारण	दिनांक- 09.05.2018	कटरा, मुजफ्फरपुर
3	श्री मार्कण्डेय प्रसाद सिंह, आपूर्ति निरीक्षक 10730501	रोहतास	दिनांक- 17.04.2018	महराजगंज, सिवान

2. उपर्युक्त आपूर्ति निरीक्षक नवपदस्थापित स्थान पर अविलंब योगदान करना सुनिश्चित करेंगे ।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

(Signature)
04/07/18

(भरत कुमार दुबे)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र०3-स्था०-07/2018 **4259** खाद्य, पटना/दिनांक- **31.08.18**
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, प्रमंडलीय आयुक्त सारण, छपरा/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सिवान/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सिवान/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(Signature)
31/08/18

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र०3-स्था०-07/2018 - **4259** खाद्य, पटना/दिनांक- **31.08.18**
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव कोषांग/आई०टी० मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(Signature)
31/08/18

सरकार के संयुक्त सचिव ।